<u>उत्तराखण्ड शासन</u>
<u>वित्त अनुभाग–9</u>
<u>संख्या–35 / XXVII(9) / 2010 / स्टाम्प–20 / 2010</u>
<u>देहरादूनः दिनांक 24 जनवरी, 2011</u>

अधिसूचना

राज्यपाल साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धरा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तरण करते हुए, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) की अनुसूची 1 क्ष के अनुच्छेद 45 के अधीन परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित विभाजन विलेखों में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर से निम्नानुसार कमी करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. नगरपालिका, महानगर पालिका, केन्टोनमेन्ट एवं औद्योगिक विकास क्षेत्र की सीमान्तर्गत दस करोड़ रू0 मूल्य तक के विभाजन विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प भुल्क की दर चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत तथा अधिकतम रू0 एक लाख तथा दस करोड़ रू0 मूल्य से अधिक के विभाजन विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत तथा अधिकतम रू0 तीन लाख।
2. नगर पालिका, महानगर पालिका, केन्टोनमेन्ट एवं औद्योगिक विकास क्षेत्र की सीमा से बाहर की सम्पत्ति से सम्पत्ति से सम्बन्धित विभाजन विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर चार प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम रू0 पच्चीस हजार।

स्पष्टीकरणः– **<u>परिवार का तात्पर्य इस प्रयोजन हेतु पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन तथा नाती–पोतों से है।</u>**

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

<u>पत्रांक : 35(1) / XXVII(9) / 2010 / स्टाम्प–20 / 2010 तद्‌दिनांकित।</u>
<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वांल
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. न्याय / विधायी विभाग।
7. प्रतिलिपि उप–निदेशक लिथो प्रेस रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे आगामी गजट में प्रकाशित कराते हुये इसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करा दें
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।